न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 02 / 2017

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 जितेन्द्र परिहार पुत्र पुनमचन्द जाति माली निवासी शांति नगर, सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक- 19/02/2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 04.02.2016 को थाना प्रभारी पुलिस थाना सुमेरपुर की सूचना पर पुलिस थाना सुमेरपुर में प्रार्थी की उपस्थिति में कुकिंग मिडियम, प्रोपाईट्री फूड (ब्राण्ड दीप क्लासिक) (घी) में से चार मूल पैकेट कुकिंग मिडियम फूड (ब्राण्ड दीप क्लासिंह) को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा सामग्री को प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए पृथक पृथक भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–469 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खोया को Sub Standard as the sale of admixture of hydrogenated vegetable oil, refined vegetable oil and Milk fat is prohibition under Regulation No. 2.1.1 (6) and 2.3.7 of Food Sefety and Standards (Probhition and Restraction on sales) Regulations, 2011. This sample is also Mosbranded under section 3 (1)(zf)(c) (i) of Food Safety and Standards Act. 2006 का माना है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub Standard स्तर के कुकिंग मिडियम, प्रोपाईट्री फूड (ब्राण्ड दीप क्लासिक) (घी) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त सामग्री विनोद एण्ड कम्पनी से क्रय की गई, जो अप्रार्थी द्वारा निर्मित नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त सामग्री का मात्र विक्रय ही किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त सामग्री में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है एवं न ही कोई छेडछाड की गई है। इस कारण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी पर जो आरोप लगाया गया है, वह निराधार है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण को ड्रोप करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.02.2016 को पुलिस थाना सुमेरपुर में अप्रार्थी की फर्म से जब्तसुदा कुकिंग मिडियम, प्रोपाईट्री फूड (ब्राण्ड दीप क्लासिक) (घी) के नमूने को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–469 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./120/एक्ट/2016/151 दिनांक 15.02.2016 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–707 को Sub Standard as the sale of admixture of hydrogenated vegetable oil, refined vegetable oil and Milk fat is prohibition under Regulation No. 2.1.1 (6) and 2.3.7 of Food Sefety and Standards (Probhition and Restraction on sales) Regulations, 2011. This sample is also Mosbranded under section 3 (1)(zf)(c) (i) of Food Safety and Standards Act. 2006 का माना है। पत्रावली के दस्तावेजात् से परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि मौका फर्द के अनुसार प्राथी द्वारा दिनांक 04.02.2016 को जो सैम्पल लिया गया है, वह अप्रार्थी की फर्म से जब्त की गई सामग्री में से लिया गया है, जो नमूना कोड संख्या आर–469 अंकित करते हुए उक्त सैम्पल को खाद्य विश्लेषक को वास्ते जांच भिजवाया गया है। इस सम्बन्ध में जो दस्तावेजात् यथा मौका फर्द आदि पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है, जिसको न मानने का कोई यथोचित कारण नहीं है। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें अप्रार्थी की फर्म द्वारा विक्रय किए जा रहे खोया को Sub Standard as the sale of admixture of hydrogenated vegetable oil, refined vegetable oil and Milk fat is prohibition under Regulation No. 2.1.1 (6) and 2.3.7 of Food Sefety and Standards (Probhition and Restraction on sales) Regulations, 2011. This sample is also Mosbranded under section 3 (1)(zf)(c) (i) of Food Safety and Standards Act. 2006 का माना है। अप्रार्थी द्वारा उक्त सामग्री विनोद एण्ड कम्पनी से क्रय की गई है, जिसके बिल संख्या 105 दिनांक 07.09.2015 है, जिसे प्रार्थी द्वारा पक्षकार ही नहीं बनाया गया हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त विनोद एण्ड कम्पनी को बचाने के उद्देश्य से उसे पक्षकार ही नहीं बनाया है। यह न्यायोचित नहीं हैं। हालांकि प्रार्थी द्वारा जो नमूना लिया गया है, वह Sub Standard पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक कुकिंग मिडियम, प्रोपाईट्री फूड (ब्राण्ड दीप क्लासिक) (घी) का विक्रय/भण्डारण करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण में जिस सामग्री का नमूना लिया गया है, उस सामग्री के विक्रेता विनोद एण्ड कम्पनी को प्रकरण में बचाने के उद्देश्य से पक्षकार संयोजित नहीं किया जाना कर्तव्य के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है। इस हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पाली अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली